कम्प्यूटर परिपत्र सं0 -आडिट-आ0प्र0/पी0ए0सी0/05-06/2.8.1/ 0809/09 / वाणिज्य कर
कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आडिट-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 26 :: मार्च, 2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विगत वर्षों में महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा विभागीय कार्यालयों में की गयी नियमित सम्परीक्षा में "अर्थदण्ड का अनारोपण " की सबसे अधिक आपत्तियॉ उठाई गयी हैं, जिनके आधार पर पार्ट-IIए एवं पी0ए0सी0 प्रतिवेदन में भी अधिकांश प्रस्तर "अर्थदण्ड का अनारोपण" के ही हैं। अर्थदण्ड अनारोपण की प्रमुख आपत्तियॉ निम्नवत हैं :-

1- आयातित खरीद के सम्बन्ध में, केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र से अनाच्छादित वस्तुओं के लिए फार्म-सी जारी करने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न किया जाना।
2- व्यापारी के विरुध्द निर्धारित अपवंचित टर्नओवर पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न किया जाना।
3- विलम्ब से जमा नक्शे एवं कर के सम्बन्ध में अर्थदण्ड की कार्यवाही न किया जाना।
4- संविदी द्वारा निर्धारित अवधि में टी0डी0एस0 कटौती करके जमा न करने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न किया जाना।
5- बिना आयात घोषणापत्र के आच्छादित प्रात बाहर से माल आयात कर लेने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न किया जाना।
6- मान्यता प्रमाणपत्र से आच्छादित माल से भिन्न माल के लिए फार्म-3ख (व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत) जारी कर देने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न किया जाना।

यह देखा गया है कि व्यापारी द्वारा उपरोक्त कृत किए जाने के तथ्य कर निर्धारण के समय प्रकाश में आने के फलस्वरुप भी करनिर्धारण आदेश पारित कर दिए जाते हैं एवं उपरोक्त वितिथियों के लिए अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की जाती और इस प्रकार अर्थदण्ड आरोपित होने से रह जाता है जिसके फलस्वरुप सम्परीक्षा दल द्वारा आडिट के समय अर्थदण्ड आरोपित न किए जाने की आपत्ति लगा दी जाती हे। उपरोकत आपत्तियॉ ऐसी हैं, जिनका यदि करनिर्धारण के समय ही अनिवार्य रुप से परीक्षण कर लिया जाय एवं नियानुसार कार्यवाही सम्पादित कर ली जायॅ तो उक्त आधारों पर आपत्तियॉ नहीं लगेगीं।

उपरोक्त आधार पर आपत्तियॉ न लगें एवं उक्त आपत्तियॉ आडिट पार्ट-IIए एवं पी0ए0सी0 के प्रस्तर न बने, इसके लिए निम्न प्रकार से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

1- करनिर्धारण के समय ही फार्म-सी जारी कर मॅगाई गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में यह परीक्षण अनिवार्य रुप से कर लिया जाय कि सभी वस्तुएॅ केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित है अथवा नहीं। अन्यथा पाये जाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही कर निर्धारण के साथ-साथ ही कर दी जाय।
2- जिन मामलों में स्पष्ट रुप से करापवंचित टर्नओवर का निर्धारण किया जाय उनमें अर्थदण्ड की कार्यवाही न्यायिक निर्णयों एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में अवश्य सम्पादित कर दिया जाय एवं करनिर्धारण आदेश में अर्थदण्ड नियमानुसार आरोपित कर दिया जायेगा, इसका विस्तृत उल्लेख कर दिया जाय।

3- बिलम्ब से जमा कर व नक्शों के सम्बन्ध में ब्याज का निर्धारण स्पष्ट रुप से करनिर्धारण आदेश में करते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही भी करनिर्धारण के साथ-साथ कर दी जाय।

4- संविदी द्वारा यदि बिलम्ब से टी0डी0एस0 कटौती जमा की गयी है जो ब्याज की देयता का निर्धारण करने के साथ ही नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही भी उसी समय कर दी जाय।

5- लम्बित व्यापार कर के जिन वादों में व्यापारी द्वारा बिना आयात घोषणापत्र के माल का आयात किया गया है, उसका परीक्षण करते हुए करनिर्धारण के साथ ही व्यापार कर अधिनियम की सुसंगत धारां के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही कर दी जाय।

6- लम्बित व्यापार कर के जिन वादों में व्यापारी ने मान्यता प्रमाणपत्र पत्र से आच्छादित माल से भिन्न वस्तुओं के लिए फार्म-3ख जारी कर दिया है इसका भी परीक्षण करनिर्धारण के समय करते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही करनिर्धारण के साथ ही कर दी जाय।

उक्त निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में उपरोक्त प्रकार की आपत्तियॉ यदि सम्परीक्षा द्वारा इंगित की जायेगी तो सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी के विरुध्द कार्यवाही की जायेगी।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त -

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन,उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- महालेखाकार(वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा),उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद/शाखा-लखनऊ।

4- मैनुअल/विधि/जनसम्पर्क/कम्प्यूटर/सहायताकेन्द्र अनुभागों को 5-5 प्रतियों सहित।

5- आडिट अनुभाग को 25 अतिरिक्त प्रतियॉ।

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।